जन–सुनवाई कार्यवृत्त

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स श्रीमति अलका डागा पत्नी श्री रोहित डागा, एम. एल. नम्बर 35/2020, रेफरेन्स नम्बर 20201000018745, क्षेत्रफल 3.9789 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4,39,878 टी.पी.ए. (रोम), चक नम्बर 7, निकट ग्राम–गंगापुरा, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर{**कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 23.9048 हैक्टेयर कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–23,68,613 टी.पी.ए.(रोम)} में स्थित है** में अप्रधान खनिज बॉल क्ले, सिलिका सेंड, बजरी कंकर ग्रेवल एवं मुर्ररम के खनन की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई जिला कलक्टर बीकानेर के प्रतिनिधि श्री राजेश कुमार नायक, उपखण्ड अधिकारी, कोलायत की अध्यक्षता में एवं क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर की उपस्थिति में **ग्राम पंचायत भवन गंगापुरा, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर** में दिनांक **13.01.2026** को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गई।

जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट "अ"** पर सलंग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 08.12.2025 को समाचार पत्र 'दैनिक भास्कर' एवं 'दैनिक युगपक्ष' में प्रकाशित करवाई गई थी जिसकी प्रतियाँ **परिशिष्ट "ब"** पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बीकानेर ने सभी आगुन्तको का स्वागत करते हुए अवगत करवाया कि उक्त जनसुनवाई वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचनाओं में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर द्वारा आयोजित की जा रही है जिसमें जिला कलक्टर महोदय की तरफ से उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उक्त जन सुनवाई की सूचना दो समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व दी जा चुकी है। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को बताया गया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के

क्षेत्रीय अधिकारी
राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

पश्चात् उपस्थित आमजन खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति या सुझाव दर्ज करवा सकते है। उक्त जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। जनसुनवाई की विडियोग्राफी एवं दिये गये आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) को प्रेषित कर दिये जायेगें। इसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी, कोलायत की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु **मैसर्स श्रीमति अलका डागा** के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **''मैसर्स एस.बी.ए. एन्वायरोसिस्टम प्रा. लि''** को आमंत्रित किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **''मैसर्स एस.बी.ए. एन्वायरोसिस्टम प्रा. लि''** के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त खनन परियोजना चक नम्बर 7, निकट ग्राम गंगापुरा तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर में अप्रधान खनिज– बॉल क्ले, सिलिका सेंड, बजरी कंकर ग्रेवल एवं मुर्ररम के खनन हेतु प्रस्तावित है **जिसका एम.एल. नम्बर 35/2020, रेफरेन्स नम्बर 20201000018745** कुल खनन क्षेत्रफल **3.9789** हेक्टेयर तथा उत्पादन क्षमता **4,39,878 टी.पी.ए. (रोम) {कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 23.9048 हैक्टेयर एवं कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–23,68,613 टी.पी.ए.(रोम)}** होगी। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, क्लस्टर परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी
राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

सर्वप्रथम श्री श्रीराम विश्नोई, निवासी ग्राम गंगापुरा द्वारा कहा गया कि पर्यावरण का ध्यान रखते हुए वृक्षारोपण करवाया जाना चाहिए एवं उनकी जियो टेगिंग करवायी जानी चाहिये। श्रीराम विश्नाई द्वारा आक्षेप लगाया गया कि पूर्व में स्थापित खनन इकाईयों द्वारा वृक्षारोपण नहीं करवाया जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासियों का स्वागत करते हुए बताया कि जनसुनवाई आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रस्तावित परियोजना से यदि क्षेत्र के निवासियों के हितों का ध्यान रखने, प्रस्तावित परियोजना से क्षेत्र में कोई समस्या उत्पन्न हो तो उसका निराकरण समुचित प्रक्रिया के तहत करने हेतु किया जाता है ग्रामवासियों द्वारा प्रस्तुत आक्षेप/सुझाव/आपत्ति का रिकॉर्ड रखा जाता है साथ ही उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासियों से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में प्रस्तावित परियोजना के प्रतिनिधि/प्रस्तावक के साथ संयम एवं शालीनता के साथ अपनी बात प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि माईनिंग प्लान बनाते समय नक्शा बनाने हेतु प्रस्तावित परियोजना के क्षेत्र का निरीक्षण कर चिन्हित किया जाता है जिसे जियो टेडिंग ही कहा जाता है। उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा यह भी अवगत करवाया गया कि सरकार की पॉलिसी के तहत ही प्रस्तावित परियोजना धारक को भूमि का आवंटन किया जाता है।

श्री श्रीराम विश्नोई, निवासी ग्राम गंगापुरा द्वारा जानकारी चाही गई कि नियमों में 33 प्रतिशत क्षेत्र पर वृक्षारोपण किये जाने का प्रावधान है अतः पूर्व में संचालित खनन इकाईयों द्वारा कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वृक्षारोपण किया गया है उसकी जियो टेडिंग करवाने का निवेदन किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त जनसुनवाई प्रस्तावित खनन इकाई हेतु आयोजित की जा रही है यदि प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में कोई आक्षेप/सुझाव/आपत्तियाँ हो तो प्रस्तुत करने हेतु कहा गया साथ ही पूर्व में संचालित खनन इकाईयों की जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु भी कहा गया जिनके द्वारा नियमों की पालना नहीं की जा रही है एवं आश्वासन दिया कि उक्त खनन इकाईयों का निरीक्षण करवा कर विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राज.राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पुनः आमंत्रित किया गया।

श्री श्रीराम विश्नोई द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना में लगे हुए खेजड़ी के वृक्षों के संरक्षण हेतु जानकारी चाही गई। जिसके प्रत्युत्तर में उपखण्ड अधिकारी द्वारा बताया गया कि इस सम्बन्ध में प्रावधानों के अनुसार विधि सम्मति तरीके से काम करने हेतु सम्बन्धित विभागों को निर्देश जारी किये जायेगें।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पुनः आमंत्रित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के निर्देशानुसार पूर्व सूचना के पश्चात जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है। प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में कोई शंका/समाधान होने पर ग्रामवासियों द्वारा आक्षेप/सुझाव/आपत्तियाँ प्रस्तुत की जा सकती है। परन्तु आपत्तियाँ प्रस्तुत करते समय भाषा में शालीनता रखना अत्यन्त आवश्यक है।

श्री दलीप सिंह निवासी ग्राम डेह द्वारा निवेदन किया गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना को वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये श्री दलीप सिंह द्वारा पर्यावरणीय जनसुनवाई की कार्यवाही के साथ ही प्रस्तावित खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण शुरू करने का निवेदन किया गया। इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि वृक्षारोपण के सम्बन्ध में खनन इकाईयों के निर्देश दिये जाते है परन्तु कई बार मौका निरीक्षण के समय पाया गया कि थार मरूस्थल क्षेत्र की परिस्थितियों के कारण कई बार पौधो का विकास नहीं हो पाता एवं वह नष्ट हो जाते है। साथ ही उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा खनन इकाई मालिकों से निवेदन किया गया वे अपने अन्दर पर्यावरण संरक्षण की भावना के साथ वृक्षारोपण के अधिकतम प्रयास किये जाने चाहिये।

क्षेत्रीय अधिकारी
राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

श्री दलीप सिंह निवासी ग्राम डेह द्वारा शिक्षा, चिकित्सा एवं धार्मिक स्थलों पर खनन मालिकों द्वारा सहयोग किये जाने का निवेदन भी किया गया जिसके प्रत्युत्तर में उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा अवगत करवाय गया कि डी.एम.एफ.टी. फण्ड से क्षेत्र में कार्य होते रहे है साथ ही खनन मालिकों का यह नैतिक दायित्व होना चाहिये की क्षेत्र के विकास एवं शिक्षा में सहयोग प्रदान करें। उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि खनिज पर राज्य का अधिकार है एवं सरकार द्वारा बनायी गयी पॉलिसी का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। खनन कार्य करते समय सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पालना करना अनिवार्य होता है। परियोजना परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा बताया गया कि सी.एस.आर फण्ड के अन्तर्गत क्षेत्र के विकास एवं शिक्षा में सहयोग हेतु 4 से 5 लाख की राशि निर्धारित की गई है।

श्री जयपाल जांगू निवासी गंगापुरा द्वारा गंग सरोवर तालाब के पास की सड़क पर गहरे–गहरे गड्ढे हो रखे है इस सम्बन्ध में पूर्व में निवेदन किया जा चुका है लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यालय में पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहा गय साथ ही क्षेत्र का निरीक्षण करवा कर पर जल्द से जल्द कार्यवाही करने का भी आश्वासन दिया गया। श्री जयपाल जांगू द्वारा यह भी आक्षेप लगाया गया कि खनन इकाईयों द्वारा माल परिवहन के दौरान ट्रकों को तिरपाल से नहीं ढका जाता है जिससे मिट्टी बिखरती रहती है एवं इनके द्वारा सड़को पर पानी का छिड़काव भी नहीं किया जाता है।

श्री रूपापराम कुमावत, निवासी गंगापुरा द्वारा प्रस्तावित खनन मालिक से अन्य कृषकों को खेत जाने हेतु रास्ता देने का निवेदन किया गया साथ ही आक्षेप लगाया गया कि पूर्व में संचालित खनन इकाईयो द्वारा कृषकों को खेत में जाने का रास्ता नहीं दिया जा रहा है।

श्री जसपाल सिंह, निवासी गंगापुरा द्वारा बताया गया कि गंगापुरा तालाब को गहरे करने एवं मरम्मत का कार्य किया जा रहा है मरम्मत कार्य पूर्ण होने पर सड़क के पास के गड्ढों को भर दिया जायेगा। श्री जयपाल जांगू द्वारा कहा गया कि गंग सरोवर से आगे जाकर तो कार्य नहीं किया जा रहा है वहाँ गड्ढे भरने का कार्य किया जा सकता है जिसके प्रत्युत्तर में श्री जसपाल सिंह द्वारा अवगत करवाया गया कि गड्ढे भरने का कार्य अलग–अलग न करवा कर एक साथ करवाया जायेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

श्री श्रीराम विश्नोई, ग्राम गंगापुरा द्वारा वृक्षारोपण की जियो करवाने हेतु पुनः निवेदन किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा कहा गया कि लीज जारी करने से पूर्व क्षेत्र की जियो टेडिंग करवायी जाती है। श्री श्रीराम विश्नोई द्वारा पूर्व में संचालित खनन इकाईयों की लीज जारी करने से पूर्व वृक्षो कि की गई जियो टेंडिंग को पुनः सत्यापित करवाये जाने का निवेदन किया गया। उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा बताया गया कि लीज की जियो टेडिंग की जाती है वृक्षो की जियो टेडिंग करवाने के सम्बन्ध में यदि आपके पास कोई सरकारी प्रावधान की कॉपी है तो प्रस्तुत करे एवं आश्वासन दिया कि उस पर नियमानुसार करवायी जायेगी।

अन्त में ग्रामवासियों द्वारा अन्य कोई आपत्ति/आक्षेप प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी ने जनसुनवाई के समापन की घोषणा की एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय तथा उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जनसुनवाई के दौरान 2 लिखित आक्षेप प्राप्त हुए जिनकी प्रतियाँ **परिशिष्ट "स"** पर संलग्न है।

(राजकुमार मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.म., बीकानेर
क्षेत्रीय अधिकारी
राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर

(राजेश कुमार नायक)
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत
बीकानेर
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर

उपस्थिति पजिंका

प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स श्रीमति अलका डागा पत्नी श्री रोहित डागा, एम.एल. नम्बर 35/2020, रेफरेन्स नम्बर 20201000018745, क्षेत्रफल 3.9789 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4,39,878 टी.पी.ए. (रोम), चक नम्बर 7, निकट ग्राम–गंगापुरा, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर जो कि क्लस्टर परियोजना {एम.एल. नम्बर 35/2020, एम.एल. नम्बर 84/2019, एम.एल. नम्बर 60/2019, एम.एल. नम्बर 83/2019, एम.एल. नम्बर 88/2019, एम.एल. नम्बर 12/2019} कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 23.9048 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–23,68,613 टी.पी.ए.(रोम) में स्थित है में बॉल क्ले, सिलिका सेंड, बजरी कंकर ग्रेवल एवं मुर्ररम के खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 13.01.2026 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक ।

स्थानः– ग्राम पंचायत भवन गंगापुरा, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर

दिनांकः–13.01.2026 समय प्रातः 11.00 बजे

क्र.स.	नाम	पद एवं विभाग / कार्यालय / निवासी	हस्ताक्षर
1.	राजेश कुमार नायक	SDO, कोलायत	[signature]
2	रेवन्त राम	प्रधान	[signature]
3	Rajkumar Meena	R.O. RSPCB, Bikaner	[signature]
4	Majid Khan	SBA Enviro System Pvt Ltd Jaipur	[signature]
	राजकुमार	बीकानेर	[signature]
	रविन्द्र	बीकानेर	[signature]
	आशीष	बीकानेर	[signature]
	श्रीनाथ	बीकानेर	[signature]
	राजेन्द्र	बीकानेर	[signature]
	पाबुराम	गंगापुरा	पाबुराम
	लक्ष्मीनारायण	बीकानेर	[signature]
	रूणाराम	मोरावतान	रूणाराम
	मदनलाल	स्वामी	मदनलाल
	हेमाराम	गोयकला	[signature]

उपस्थिति पजिंका

प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स श्रीमति अलका डागा पत्नी श्री रोहित डागा, एम.एल. नम्बर 35/2020, रेफरेन्स नम्बर 20201000018745, क्षेत्रफल 3.9789 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4,39,878 टी.पी.ए. (रोम), चक नम्बर 7, निकट ग्राम–गंगापुरा, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर जो कि क्लस्टर परियोजना {एम.एल. नम्बर 35/2020, एम.एल. नम्बर 84/2019, एम.एल. नम्बर 60/2019, एम.एल. नम्बर 83/2019, एम.एल. नम्बर 88/2019, एम.एल. नम्बर 12/2019} कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 23.9048 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–23,68,613 टी.पी.ए.(रोम) में स्थित है में बॉल क्ले, सिलिका सेंड, बजरी कंकर ग्रेवल एवं मुर्ररम के खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 13.01.2026 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक ।

स्थानः– ग्राम पंचायत भवन गंगापुरा, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर

दिनांकः–13.01.2026 समय प्रातः 11.00 बजे

क्र.स.	नाम	पद एवं विभाग/कार्यालय/निवासी	हस्ताक्षर
	शंकरराम	कोटड़ी	शंकरराम
	श्रीराम		
	प्रभुराम	गंगापुरा	प्रभुराम
	मघाराम	सोलावता	मघाराम
	जसपालसिंह		जसपालसिंह
	मदनसिंह		मदनसिंह
	जयपाल [illegible]	गंगापुरा	[signature]
	दलीपसिंह	अध्यक्ष पर्यावरण संरक्षण समीति	दलीपसिंह
	किशन नारायण पुरोहित	राजस्थान पत्रिका ([illegible])	[signature]
	Ravi		[signature]
	[illegible]	गंगापुरा	[signature]
	[illegible]	[illegible]	[signature]
	Rohit Daga	BKN	[signature]

सेवा में

श्रीमान उपखण्ड महोदय जी
कोलायत बीकानेर

विषय ⇒ लिज बाबत हेतु

नम्र निवेदन है हमारे जमीन मे लीज हेतु अनेल पेड़ करते है इस लिए लीज के जमीन की जियो टैगींग करने की कृपा करे इस से अनेल सिव जन्तु को बेगर किया जा रहा है इस लिए हमारे और इस लिए हमारे राज्य वर्ष लि अन्दर खुद खेजड़ी कटाई हो रही है आप लीज रद्ध करने के कृपा करे खसरा नं. 80 चक नं. 7 गंगापुरा
खसरा नं. 63 चक नं. 7 गंगापुरा।

महोदय उपखण्ड अधिकारी

दिनांक = 13/1/2026

श्रीराम ⇒ 7300258352

श्रीराम 7300258352

लक्ष्मणसिंह
रूपाराम
[illegible]
श्रीराम
[illegible]सिंह
[illegible]
[illegible]

शिव
भेरू सिंह
सुरेश
उमेद

[illegible] Ram

[illegible]
Dinesh

Received during public hearing on date 13/01/2026.
[illegible]
RSPCB Bikaner.

सेवा में

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी
कोलायत बीकानेर

विषय :- ग्रामीण सर्वांगीण विकास हेतु

नम्र निवेदन है कि ग्राम विकास के लिए सम्पूर्ण लिज धारको के द्वारा गांव के विकास के लिए दिए जाने वाली राशि का सम्पूर्ण ब्यौरा प्रदान करवाने कि कृपा करे सभी लीज धारको को एक मीटिंग बुलवाकर लगाभी गई राशि का ब्यौरा प्रदान करें।

श्रीराम
रूपाराम
शिव
भैरूसिंह
उम्मेदसिंह
लक्ष्मणसिंह
मदनसिंह
Shriram
श्रीराम
Dinesh
छैलूसिंह
सुरेश
उम्मेद
Shri

दिनांक = 13/1/2026

महोदय उपखण्ड अधिकारी

श्रीराम 7300258352

Received during Public Hearing on date 13/01/2026.
RSPCB, Bikaner